सं.11011/03/2024-रा.भा.(अनु.)
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
....

एन.डी.सी.सी.-।। भवन, बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 110001

दिनांक:28अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: हिंदी सलाहकार समितियों के शीघ्र गठन/पुनर्गठन के बारे में।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियों के गठन का प्रावधान है। इन समितियों के अध्यक्ष संबंधित मंत्री होते हैं।

2. जैसा कि मंत्रालयों/विभागों को ज्ञात है, 18वीं लोक सभा का गठन हो चुका है तथा उसके बाद संसदीय राजभाषा समिति का गठन भी किया जा चुका है। फलत: मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन अपेक्षित है। इस विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा अब तक जारी आदेशों के अनुसार विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों को हिंदी सलाहकार समितियों के गठन/पुनर्गठन के प्रस्ताव को राजभाषा विभाग की औपचारिक सहमति हेतु भेजना आवश्यक है। **राजभाषा विभाग की औपचारिक सहमति, मंत्रालय/विभाग के मंत्री के अंतिम आदेश से पहले ली जानी होती है।**

4. कुछ मंत्रालयों/विभागों ने राजभाषा विभाग को पत्र भेजकर राजभाषा विभाग की ओर से 3 विद्वानों को नामांकित करने का अनुरोध किया है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूर्ण प्रस्ताव भेजे जाने चाहिए जिसके साथ **मंत्रालय/विभाग द्वारा नामित 4 विद्वानों के जीवन वृत्त भी अनिवार्य रूप से संलग्न होने चाहिए।** इसके बाद ही राजभाषा विभाग द्वारा प्रस्ताव को औपचारिक सहमति दी जा सकती है तथा राजभाषा विभाग की ओर से 3 विद्वानों का नामांकन किया जा सकता है। इसलिए मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे कि **सभी सदस्यों को शामिल करते हुए राजभाषा विभाग को पूर्ण प्रस्ताव भेजें।**

5. उपर्युक्त के आलोक में मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि हिंदी सलाहकार समिति के गठन/पुनर्गठन की प्रस्तावित अधिसूचना के मसौदे सहित पूर्ण प्रस्ताव राजभाषा विभाग को यथाशीघ्र भेजें। यदि कोई संशय हो तो इस संबंध में श्री रघुवीर शर्मा, सहायक निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग से विमर्श कर लें।

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रति :

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)/राजभाषा प्रभारी।

हिंदी सलाहकार समितियों के गठन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

1. सदस्य संख्या :- इस संबंध में प्रत्येक मंत्रालय को अपने कार्य के स्वरूप और क्षेत्र को देखते हुए यह संख्या निश्चित करनी होगी। सामान्यत: किसी भी समिति में कुल सदस्य 30 से अधिक नहीं होने चाहिए।

2. वर्गवार विभाजन :-

(क) सरकारी सदस्य : संबंधित मंत्रालय के मंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे। राज्यमंत्री, उपमंत्री, सचिव, अपर सचिव तथा संबंधित संयुक्त सचिव समिति के पदेन सदस्य होंगे। साथ ही संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्ष/महानिदेशक, निगमों/आयोगों/उपक्रमों आदि के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/निदेशक आदि को भी समिति के पदेन सदस्य के तौर पर रखा जाए। (यदि मंत्री चाहें तो वे राज्यमंत्री/उपमंत्री को समिति का उपाध्यक्ष नामित कर सकते हैं, ताकि उनकी अनुपस्थिति में वे बैठक की अध्यक्षता कर सकें)।

राजभाषा विभाग के सचिव सभी हिंदी सलाहकार समितियों के पदेन सदस्य रहेंगे। इसके अतिरिक्त राजभाषा विभाग से एक अन्य प्रतिनिधि भी सभी समितियों में अवश्य रखा जाना चाहिए।

(ख) गैर-सरकारी सदस्य : ऐसे व्यक्तियों को ही सदस्य नामित करना चाहिए जिन्हें हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा विकास में विशेष रुचि हो और जो संबंधित मंत्रालय के कार्यकलाप की अच्छी जानकारी रखते हों।

समिति के सदस्यों को नामांकित करते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए :-

(i) संसद सदस्यों की संख्या :- समिति के सदस्यों में 2 लोकसभा से और 2 राज्यसभा से तथा दो सदस्य (प्रतिनिधि) संसदीय राजभाषा समिति से हों।

(ii) अन्य गैर-सरकारी सदस्य :- मंत्रालयों के कार्यक्षेत्र से संबंधित और हिंदी में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त निम्नांकित 6 संस्थाओं में से किन्हीं दो अखिल भारतीय हिंदी संस्थाओं से भी एक-एक प्रतिनिधि रखे जाने चाहिए :-

(1) पूर्व में अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ से संबद्ध 20 संस्थाओं में से किसी एक से कोई एक प्रतिनिधि
(2) नागरी प्रचारणी सभा
(3) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा
(4) हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
(5) केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नई दिल्ली
(6) विश्व हिंदी परिषद, नई दिल्ली

उपर्युक्त संस्थाओं से नामांकन के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा हाल ही में जारी किए गए **का. ज्ञा.सं.11011/03/2024-रा.भा. (अनु.) दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 की प्रतिलिपि संलग्न है।** जैसा कि विदित है कि केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार हिंदी सलाहकार समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हिंदी सलाहकार समितियों में कुल गैर-सरकारी सदस्य निम्नवत होंगे :

I.	लोक सभा के सदस्य	2
II.	राज्य सभा के सदस्य	2
III.	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य	2
IV.	अखिल भारतीय हिंदी के प्रचार-प्रसार की स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि	2

V. संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा नामित विद्वान 4
VI. गृह मंत्रालय द्वारा नामित विद्वान 3

गैर-सरकारी सदस्यों की कुल संख्या 15

3. राजभाषा विभाग की औपचारिक सहमति : सभी मंत्रालय/विभाग प्रस्ताव भेजते समय इस बात का ध्यान रखें कि राजभाषा विभाग की औपचारिक सहमति हिंदी सलाहकार समितियां गठित करने से पहले एवं संबंधित मंत्री के आदेश लेने से पहले ही ली जानी चाहिए।

4. समिति का कार्यक्षेत्र : विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों का उद्देश्य राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियमों के उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन और संबंधित मंत्रालय/विभाग के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना है। यदि कोई हिंदी सलाहकार समिति राजभाषा नीति या उसके संबंध में जारी किये गये किसी निर्देश/अनुदेश में परिवर्तन करने का सुझाव देती है तो मंत्रालय/विभाग ऐसे सुझावों को राजभाषा विभाग को भेज दें और राजभाषा विभाग की सहमति प्राप्त किए बिना उन सुझावों पर अमल न करें।

5. समिति का कार्यकाल :- समिति का कार्यकाल सामान्यत: 3 वर्ष का होगा। किसी समिति के कार्यकाल की अवधि में यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है तो वह उस समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा। विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा कम या ज्यादा किया जा सकता है।

6. सलाहकार समिति में संसद सदस्यों की रिक्तियों को भरने के लिए तुरन्त कार्रवाई:- हिंदी सलाहकार समितियां संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समितियां है और ये संबंधित मंत्रालय/विभाग को महत्वपूर्ण सलाह देती हैं। इसलिए ऐसी समितियों में संसद सदस्यों के प्रतिनिधित्व का अभाव अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। इसलिए जब भी किसी संसद सदस्य के त्यागपत्र/मृत्यु या संसद में कार्यकाल समाप्त होने आदि से रिक्ति की सूचना मिले तो वे हिंदी सलाहकार समिति में नए सदस्य नामित करवाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय/संसदीय राजभाषा समिति से शीघ्र अनुरोध करें।

7. एक समय में दो से अधिक समितियों में नामांकन नहीं किया जाना :-

यह देखने में आया है कि कुछ व्यक्ति एक साथ कई मंत्रालयों/विभागों की समितियों के लिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित हो जाते हैं जिससे वे अपने कार्य के साथ न्याय नहीं कर पाते। फलस्वरूप कई अन्य उच्च कोटि के विद्वान जिनकी सेवाओं से मंत्रालयों/ विभागों की सलाहकार समितियां लाभान्वित हो सकती हैं, गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित न हो पाने के कारण इनमें अपना सहयोग नहीं दे पाते। अत: कोई भी व्यक्ति एक समय में दो से अधिक हिंदी सलाहकार समितियों में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित न किया जाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन से पूर्व उनसे यह जानकारी प्राप्त कर ले कि क्या वे इससे पूर्व किसी मंत्रालय/विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं या नहीं।

****

सं.11011/03/2024-रा.भा.(अनु.)

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

(अनुसंधान अनुभाग)

एनडीसीसी-II भवन, बी विंग
चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली
दिनांक: 18 अक्तूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: हिंदी सलाहकार समिति में नामांकन के उद्देश्य से हिंदी के प्रचार-प्रसार की स्वैच्छिक संस्थाओं की राजभाषा विभाग की सूची को अद्यतन करने के संबंध में।

राजभाषा विभाग द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में गठित की जाने वाली हिंदी सलाहकार समितियों में नामांकन हेतु अखिल भारतीय हिंदी स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता के संबंध में विभाग के दिनांक 15/03 /1988 के का. ज्ञा. सं. II/20015/45/87-रा.भा. (क - 2) तथा 04/05/1989 के का. ज्ञा. सं. II/20015/45/87-रा.भा. (क - 2) तथा इस विषय पर जारी अब तक के आदेशों का अधिक्रमण करते हुए विभाग द्वारा निम्नलिखित संगठनों को निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार हिंदी सलाहकार समितियों में उनके प्रतिनिधियों के नामांकन के उद्देश्य से मान्यता प्रदान की जाती है:

i) पूर्व में अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की सदस्य संस्थाओं में से वर्तमान में सक्रिय 20 संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कोई एक प्रतिनिधि (इन 20 संस्थाओं की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है)
ii) नागरी प्रचारिणी सभा
iii) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा
iv) हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
v) केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नई दिल्ली
vi) विश्व हिंदी परिषद, नई दिल्ली

2. संशोधित व्यवस्था के अनुसार उपर्युक्त 6 संस्थाओं में से मंत्रालयों के पास किन्हीं भी दो संस्थाओं से एक-एक प्रतिनिधि चुनने का विकल्प होगा।

अनिल कुमार

(अनिल कुमार)
उप सचिव (अनुसंधान)

प्रति,

1. सभी संबंधित संस्थाओं को इस अनुरोध के साथ कि मंत्रालयों द्वारा अनुरोध किए जाने पर अपनी संस्था की ओर से हिंदी सलाहकार समितियों के लिए हिंदी विद्वानों का नामांकन सीधे संबंधित मंत्रालय को भिजवाएं। ऐसा करते हुए कृपया सुनिश्चित करें कि एक विद्वान को दो से अधिक मंत्रालयों के लिए नामित न किया जाए।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग।

परिशिष्ट 'क'

क्र. सं.	संस्था का नाम पता
1.	डॉ. अखिल शुक्ला अध्यक्ष, हिंदी प्रचार-प्रसार संस्थान हिंदी भवन, वरुण पथ थाने के पास, वरूणपथ मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान) मो. 9414072041 / 8079072372 ईमेल - hindipps@gmail.com
2.	प्रधानाचार्य प्रयाग महिला विद्यापीठ, इंटर कालेज 1 एलगिन रोड, सिविल लाइन, प्रयागराज पिन - 211002 (उत्तर प्रदेश) मो. 9454969819
3.	डॉ. राम गोपाल सिंह, सीनियर प्रोफेसर, हिंदी विभाग एवं नोडल राजभाषा अधिकारी गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद - 38009, मो. 9016422443 / 9427490723 ईमेल - registraroffice@gujratvidyapith.org
4.	मुंबई हिंदी विद्यापीठ उद्योग मंदिर नं. 1, 306/307 धर्मवीर संभाजी राने मार्ग, माहिम (प.) नई दिनकर को ऑप हाउसिंग सोसायटी माहिम मुंबई - 400016 फोन नं. 022-35314181
5.	महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे 387, राष्ट्रभाषा भवन रोड, नारायण पेठ, पुणे, महाराष्ट्र - 411030, फोन नं. 020-24458947
6.	सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति, राजकोट 7QQ + V4C राष्ट्रीय शाला प्रागंण, विद्यानगर, राजकोट गुजरात - 360002, फोन नं. 0281-2466227

7.	हिंदुस्तानी प्रचार सभा महात्मा गांधी मेमोरियल बिल्डिंग 7, नेताजी सुभाष रोड, चर्नी रोड मुंबई - 400002 मो. 9819498012
8.	मुंबई हिंदी सभा लक्ष्मी भवन, पहला माला एन सी केलकर रोड मुंबई - 400028, मो. 9820852168
9.	ओडिशा राष्ट्रभाषा परिषद, जगन्नाथ धाम एट/पो - कालिकादेबी साही पुरी, ओडिशा - 752001 मो. 768382331, 9777930545 ईमेल - odisharastrabhasa@gmail.com
10.	कुलसचिव, हिंदी विद्यापीठ, देवघर पत्रालय - हिंदी पीठ - 814115 जिला - देवघर (झारखण्ड) मो. 9431158051 ईमेल - hindividyapith@yahoo.in
11.	डॉ. क्षीरदा कुमार शड़कीया, मंत्री असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी रूप नगर, सेवा मंदिर पथ, गुवाहाटी - 781032, मो. 9435340285, ईमेल - arps.guwahati@gmail.com
12.	श्री आर. बी. मलसावमा, अध्यक्ष मिजोरम हिंदी प्रचार सभा, खतला, आइजोल, मो. 9862386907
13.	श्री ओजा ब्रजकुमार, अध्यक्ष, मणिपुर हिंदी परिषद, थंगल बाजार, इम्फाल, मो. 9856460583
14.	कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति, जयनगर प्रथम खंड, अशोक स्तंभ के पास, बेंगलुरु - 560011, मो. 9448618955

15.	मैसूर हिंदी प्रचार परिषद, बैगंलूरु, नं. 58, वेस्ट आफ कार्ड रोड, शिवनगर, बेंगलुरू - 560010, दूरभाष - 23305520
16.	कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति, नं.178, चौथा मुख्य रास्ता, चामराजपेट बैंगलूरु - 560018, दूरभाष - 26617777
17.	श्री एस. एस. मुनोल्ली, प्रधान सचिव बेलगॉव विभागीय हिंदी सेवा शिक्षण समिति कर्जगि गल्ली क्रास, अक्कसालिगर गल्ली पुरानी हुबली - 580024, जिला - धारवाड राज्य - कर्नाटक मो. 9886940965 / 9448302018
18.	हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद 'श्रीराम हिंदी भवन', एल. एन. गुप्त मार्ग नाममल्ली स्टेशन रोड हैदराबाद - 500001 (तेलगांना) फोन नं. - 23201956, 23201965 मो. 9912858009, 8247475256
19.	दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, टी नगर, चेन्नै -600017, फोन नं. - 044-24341824 / 8640
20.	केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनन्तपुरम केरल - 695014 मो. 9446458256 / 8848146064 ईमेल - khpsabha12@gmail.com